

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज</p> <p>.....<u>सुनी देवी</u> बनाम.....<u>दयाराम</u>.....</p> <p>मु.नं.- 47/24 किस्म - 1.1.</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
--	--

उपस्थित / प्रा.पत्र 1.2. पर विडान अभिप्रेतों
की बहस सुनी गई। दशावली वाले आवेश
प्रा.पत्र 1.2. दिनांक 11.11.25 को पेश हो
✓

11.11.25

दशावली पेश हुई। कलियुक्त
पत्र उपस्थित / प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार
किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से
लिखवाया जाकर शामिल दशावली किया
जाया। दशावली फैसल शुमार होकर मूल वाद
के साथ बतली हो। ✓

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)